फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कालु
बनाम
विपक्षी : श्री वरदा व अन्य

किस्म मुकदमा – 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता
पत्रावली संख्या : 03/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 फौत होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. मय धारा 05 अवधि अधिनियम का मुल प्रार्थना पत्र के साथ ही पेश किया जा चुका है जिसमे बताया कि विपक्षी संख्या 3 के वारिसान पुर्व से ही रेकर्ड पर हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अतः देरी की अवधि को कण्डोन करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 3 के नाम के आगे मृतक अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण सख्या 406/21 में दिनांक 20.06.2024 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया की मूल प्रकरण संख्या 406/21 अनवान कालु बनाम वरदा में दिनांक 20.06.2024 को अधिवक्ता वादी मय वादी के अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः देरी की अवधि कण्डोन किया जाता हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रकरण माननीय न्यायालय वल्लभनगर से माननीय न्यायालय भीण्डर में स्थानान्तरित होने के बाद पेशी की सूचना अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने से प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहा। प्रार्थी द्वारा प्रकरण की जानकारी हेतु अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिससे प्रार्थी को ज्ञात हुआ की वाद दिनांक 20.06.2024 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया। अतः प्रार्थी का हित निहित होने से मूल वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थी पेशी दिनांक 20.06.2024 को अनुपस्थित रहे जो प्रार्थी की लापरवाही का द्योतक हैं। प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी पेशी दिनांक की जानकारी प्राप्त कर सकता था। प्रकरण में प्रार्थी का हित निहीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र प्रकरण संख्या 406/21 अनवान कालु बनाम वरदा में आदेश दिनांक 20.06.2024 को अपास्त किया जाकर मूल वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से अलग हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:23:06 IST
Reason: SelfAttested